न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34 / 20

GCMS id : 2020 / 00050

1. रामचरण आत्मज रमेशचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम बंजारी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

(वादी)

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज तेज्या, जाति भील

2–5. पुषा बाई, जमना बाई, रतनी बाई, चन्द्रकला बाई पुत्रियां तेज्या, जाति भील निवासीगण ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक-: 19.04.2021

उपस्थिति : श्री संजय शर्मा, वादी अभिभाषक

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 बाबत विभाजन आराजी पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की नये खाता संख्या 421 पुराना खाता संख्या 389 के खसरा नम्बर 682 रकबा 0.35 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 684 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर वाके ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है।
- प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, वादी को उक्त आराजी को काश्त करने में व्यवधान पैदा करते है तथा वादी से लडाई झगड़ा करते है, वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से उक्त आराजी का विभाजन करने को कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने इंकार कर दिया। अन्तिम बार दिनांक 03.01.2020 को विभाजन की कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने साफ इंकार कर दिया।
- वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त आराजी का उपरोक्तानुसार विभाजन करवा सके एवं स्वयं का पृथक खाता दर्ज

Decision & P.D.

रामचरण

--2

करवाकर लगान राज कायम करवा सके। वादी के पास प्रस्तुत वाद के अलावा अन्य कोई समीचीन रैमेडी उपलब्ध नहीं है।

- वाद कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से उक्त आराजी का विभाजन करने की कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा विभाजन नहीं करने पर एवं अन्तिम बार दिनांक 03.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा विभाजन करने से साफ इंकार कर देने पर इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ है।
- प्रतिवादी संख्या 6 लैण्ड होल्ड होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है इसीलिए उसे बेहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। वाद न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। जो इस माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य खसरा नम्बर 682 रकबा 0.35 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 684 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर वाके ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की 2/3 हिस्सा आराजी को पृथक किया जाकर पृथक खाते दर्ज किया जावे एवं उक्त खाते के अन्य सहखातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से दर्ज हिस्से को भी पृथक कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 को आदेश दिया जावे कि वह राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के दर्ज हिस्से को पृथक–पृथक दर्ज कर तद्नुसार लगान राज कायम करे।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 (प्रदर्श–1) पेश की गई।

3. न्यायालय में पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु जर्ये पंजीकृत डाक तलवी सम्मन जारी किये गये। तदुपरान्त प्रतिवादीगण को लगातार 10 माह तक उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय कार्यवाही के फलस्वरूप जवाब दावा प्राप्त नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजात पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।
4. दौराने वाद, वादी अभिभाषक की प्रकरण पर एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया

कि ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसका विभाजन नहीं होने तथा वादी की हिस्सा आराजी व लगान का निर्धारण नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है। विधिक विभाजन के अभाव में उक्त संयुक्त आराजी में अपने हिस्से के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 ता 5 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी का विभाजन किया जाकर पृथक नक्शे में दर्शाये जावे।

4. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा दर्ज है। वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया है जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में है तथा विवादित आराजी ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित होने से यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उक्त वाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश किया गया है। तृतीय अनुसूची के अनुसार यह वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। उपरोक्त समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि संयुक्त कृषि आराजी में उत्पन्न विवादों के समाधान के उद्देश्य से विवादित आराजी का विधिक विभाजन किया जाना न्यायसंगत एवं समीचीन होगा। वादी विवादित आराजी में सहखातेदार है तथा विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में सहखातेदारान में प्रत्येक का पृथक पृथक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी, वावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रांवटा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी का विभाजन कर आराजी खसरा नम्बर 682 एवं 684 कुल किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से को पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने, पृथक–पृथक लगान कायम किये जाने, पृथक राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय की पालना में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा मय कब्जा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय), कोटा

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियन 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

1. रामचरण आत्मज रमेशचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम बंजारी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

(वादी)

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज तेज्या, जाति भील

2–5. पुष्पा बाई, जमना बाई, रतनी बाई, चन्द्रकला बाई पुत्रियां तेज्या, जाति भील
निवासीगण ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत : 53 RTA
मुकदमा नम्बर : 35 / 20
निर्णय दिनांक : 19-04-2021

GCMS id : 2020 / 00050

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री संजय शर्मा की उपस्थिति में वादपत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 19–04–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी का विभाजन कर आराजी खसरा नम्बर 682 एवं 684 कुल किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से को पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने, पृथक–पृथक लगान कायम किये जाने, पृथक राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय की पालना में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा मय कब्जा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 19 अप्रेल, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	